Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding situation arising due to decision of Supreme Court on 'Siksha Mitras' in Uttar Pradesh.

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक मामला सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र हरदोई समेत उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है, लाखों परिवार भुखमरी की कगार पर हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।

जैसा कि संज्ञान में आया है कि अब तक 18 शिक्षा मित्र शहीद हो चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने नौजवानों का जीवन नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही साथ नौजवान प्रशिक्षित बीटीसी, टीईटी पास बच्चों का जीवन खत्म कर दिया। पूर्ववर्ती सरकार उत्तर प्रदेश ने शिक्षा मित्रों का समय-समय पर समायोजन हेतु अपना पक्ष न्यायालय में रखा और 17 वर्षों तक इन लोगों से शिक्षक के रूप में सेवाएं ली। आज लाखों शिक्षा मित्रों के परिवार सड़क पर हैं, जिन्होंने अपनी पे स्लिप के आधार पर सरकारी बैंकों से कर्ज लिए हैं। महिला बहनों की नौकरी के आधार पर रिश्ते भी तय हो गए हैं और अब टूटने की कवायद शुरु हो चुकी है।

महोदय, वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टु को बैन कर दिया था, 23 जनवरी 2017 को तमिलनाडु सरकार ने नया अध्यादेश लागू कर क्षेत्रवासियों का सम्मान बरकरार रखा था। मैं ऐसी स्थिति में सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के हितों का ध्यान रखते हुए एक नया अध्यादेश लाए और इसका समायोजन बरकरार किया जाए जिससे इनका जीवनयापन हो सके।

मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि अध्यादेश में पूर्व से प्रशिक्षित टीईटी, बीटीसी युवकों की भी प्राथमिकता से नियुक्ति का प्रावधान रखा जाए ताकि दोनों का सम्मान बरकरार रह सके।

माननीय सभापतिः

श्री जगदम्बिका पाल,

श्रीमती नीलम सोनकर,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्रीमती अंजू बाला,

श्री पंकज चौधरी,

श्री शरद त्रिपाठी,

साधवी सावित्री बाई फूले,

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अंशुल वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।